देवकी नन्दन प्रसाद

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

(Devaki Nandan Prasad

v.

State of Bihar and Others).

(22 अप्रैल, 1983)

(न्यायाधिपति डी० ए० देसाई और ओ० चिन्नप्पा रेड्डी)

संविधान, 1950—अनुच्छेद 32 और 300-क [सपठित बिहार पेंशन रूल्स, 1950 का नियम 5 और नियम 5 की अनुसूची की मद सं० 3]—4 मई, 1971 में ही संविधान न्यायपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जाना कि पेंशन का अधिकार सम्पत्ति का अधिकार है और सरकार कार्यपालक आदेश निकालकर उस आदेश को छीन नहीं सकती—राज्य सरकार का उच्चतम न्यायालय की संविधान न्यायपीठ के उक्त निदेश का अनुपालन करने में किया गया विलम्ब अनुचित है, अतः वह पेंशन और उपदान की रकम का संदाय निश्चित तारीख तक करने के लिए बाध्य है।

पिटीशनर 1 सितम्बर, 1928 को सेवा में आया था और स्वीकृततः वह 10 जनवरी, 1967 को अधिवर्षिता पर सेवा-निवृत्त हुआ है। वह बिहार पेंशन रूल्स, 1950 के अधीन पेंशन प्राप्त करने का हकदार है। विवाद यह है कि क्या पिटीशनर बिहार एजूकेशन सर्विस (बिहार शिक्षा सेवा) का सदस्य है और उसकी पेंशन की संगणना का ढंग क्या होना चाहिए ? प्रथम मुद्दे के सम्बन्ध में यह मामला अब अनिर्णीत विषय नहीं रह गया है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय की संविधान न्यायपीठ ने 4 मई, 1971 को यह अभिनिर्धारित किया था कि पेंशन नियम के नियम 5 के प्रति जो निर्देश किया गया है, उससे यह दर्शित होता है कि उसमें उल्लिखित अधिकारी पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं। इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इस सम्बन्ध में कोई भी विवाद नहीं है कि पिटीशनर बिहार

1983(4) eILR(PAT) SC 1

शिक्षा सेवा के शिक्षा विभाग में अधिकारी है और इस विभाग का नाम नियम 5 की अनुसूची की मद सं० 3 के सामने दिखाया गया है। अतः पक्षकारों के बीच इस विनिश्चय द्वारा यह संविवाद समाप्त हो गया है कि पिटीशनर बिहार शिक्षा सेवा का सदस्य है और यह कि पेंशन नियम के नियम 5 के अधीन वह पेंशन प्राप्त करने का हकदार है। इस न्यायालय द्वारा 4 मई, 1971 को परमादेश के रिट जारी किए जाने के बाद पिटीशनर अन्य व्यक्तियों के बीच बिहार के तत्समय मुख्यमंत्री के पास इस दृष्टि से गया था जिससे कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी परमादेश को कार्यान्वित और प्रभावी किया जा सके। मुख्यमंत्री ने यह निदेश दिया कि यद्यपि उस परमादेश के जारी किए जाने के बाद दो वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है और मुख्यमंत्री ने स्वयं ही 25 जून, 1973 से दस महीने पहले यह निदेश दिया था कि पिटीशनर के दावे का संदाय यथा-संभवशीघ्र कर दिया जाए और सम्बन्धित फाइल के विषय में कार्यवाही करने सम्बन्धी रिपोर्ट की साप्ताहिक प्रगति पर और इस बात पर जोर दिया था कि उसके समक्ष वह फाइल प्रस्तुत की जाए, फिर भी मुख्यमंत्री ने अपनी असहायता व्यक्त की। निस्संदेह, मुख्यमंत्री को इस बात की आशंका थी कि यह बिल्कुल ही सम्भाव्य है कि उच्चतम न्यायालय न केवल इस गड़बड़ के लिए उत्तरदायी अधिकारियों से, बल्कि राज्य सरकार से भी इस बात का स्पष्टीकरण मांग सकता है कि परमादेश की उपेक्षा क्यों की गई। उसके बाद उसने यह अलंघनीय आदेश दिया कि फाइल उनके समक्ष प्रस्तुत की जाए। किन्तु कुछ भी आगे नहीं हुआ। अन्त में वह फाइल मुख्यमंत्री के पास 1974 में उस समय पहुंची जबकि उन्होंने अपने पास मंगवायी। मुकदमे का इतिहास पिटीशनर के साथ किए गए अन्याय, सम्बन्धित अधिकारियों की पूरी तरह से लापरवाही और असहानुभूति की कहानी बहुत लम्बी है और उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के अनुरूप पिटीशनर के दावे का निपटारा करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की। पिटीशनर की पेंशन और उपदान की जो रकम निश्चित की गई, उसकी संगणना पिटीशनर के मतानुसार, गलत ढंग से की गई थी। अतः उसने उच्चतम न्यायालय में संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन रिट पिटीशन फाइल किया। पिटीशन मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित—प्रस्तुत पिटीशन का निपटारा करने में 4 मई, 1971 वाले उच्चतम न्यायालय के जिस तात्विक प्रभाग से न्यायालय को सहायता मिली है, उसमें यह परिवर्णित किया गया है कि पिटीशनर को उस समय से

1983(4) eILR(PAT) SC 1

जबकि उसकी प्रोन्नति हुई थी, बिहार शिक्षा सेवा के वर्ग-II पदों में माना जाएगा और 1-1-1952 से उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि वह अपनी ज्येष्ठता के अनुसार या सीधी नियुक्ति की तारीख से, जिसने कि पिटीशनर को समान अवसर से वंचित कर दिया था, वर्ग-I पद का है और उसे चयन श्रेणी प्राप्त है, जिसका कि वह पूरी तरह से हकदार था। किन्तु न्याय के उद्देश्यों के लिए, पिटीशनर को एक मास के भीतर उसके दावे का संदाय कर दिया जाना चाहिए जिसके लिए शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी उत्तरदायी होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के निदेश के कार्यान्वयन में असम्यक् विलम्ब हुआ है जो अनुचित है। (पैरा 6)

उच्चतम न्यायालय के परमादेश को प्रभावी बनाने की दृष्टि से प्रत्यर्थी-राज्य पिटीशनर को संदेय वेतन की संगणना उस तारीख से करेगा जिसको उसकी प्रोन्नति वर्ग-II सेवा में की गई थी और इस उपधारणा के आधार पर करेगा कि वह तत्समय उसे ग्राह्य वेतनमान में, जो कि बिहार शिक्षा सेवा में वर्ग-II श्रेणी के समतुल्य था, वर्ग-II में कार्य कर रहा था। यह उस तारीख से प्रारम्भ होगा जिससे कि उसे सरायकेला स्थित विद्यालय उप-निरीक्षक के रूप में प्रोन्नत किया गया था। संगणना के प्रयोजनार्थ, वेतन की संगणना करने में उस पद के लिए तत्समय प्रचलित वर्ग-II का वेतनमान दिया जाएगा और पिटीशनर के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे उसी वेतनमान में नियुक्त कर दिया गया है। 1-1-1952 तक वार्षिक वेतन वृद्धियां जोड़ी जानी हैं, जबकि उसके बारे में यह समझा जाना चाहिए कि उसे बिहार शिक्षा सेवा में वर्ग-I पद पर, प्रोन्नत कर दिया गया था। प्रत्यर्थी-राज्य इसी प्रक्रिया को पुनः दोहराएगा, क्योंकि तत्समय प्रचलित वर्ग-I वेतनमान के बारे में यह अवश्य ही अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि वह 1-1-1952 से पिटीशनर के लिए ग्राह्य था। उसके बारे में यह अवश्य ही समझा जाना चाहिए कि उसकी नियुक्ति उसी वेतनमान में कर दी गई थी, और उसकी वार्षिक वेतन वृद्धियों का हिसाब लगाया जाए। यदि इसी प्रक्रिया में वह चयन श्रेणी प्राप्त करने का हकदार हो जाता है, तो उसका भी हिसाब लगाया जाना चाहिए और यह संगणना 10-1-1967 तक की जानी चाहिए, जबकि पिटीशनर अधिवर्षिता प्राप्त करने पर सेवा से निवृत्त हुआ था। वेतन की इस संगणना के आधार पर उसकी पेंशन की संगणना बिहार पेंशन नियम के सुसंगत नियमों के अधीन की जाएगी, जैसा कि 1967 तक समय-समय पर उन्हें उदार बनाया गया है; और उसकी

पेंशन का अवधारण पूर्वोक्त संगणना-पत्र के आधार पर 10-1-1967 को की जाएगी। (पैरा 9)

राज्य और इस कार्य के लिए उत्तरदायी अधीनस्थ अधिकारियों को परमादेश के रिट द्वारा यह निदेश किया गया कि वे 31 जुलाई, 1983 तक यह संगणना पूरी कर लें और उस तारीख तक पेंशन-संदाय- आदेश, जो कि यहां पर दिए गए निदेश के अनुसार ठीक और सुसंगत होना चाहिए, पिटीशनर को निश्चित रूप से दे दिया जाना चाहिए। राज्य को इस न्यायालय के परमादेश द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि वह उसी कालावधि के भीतर पूर्वोक्त संगणना के आधार पर पेंशन की बकाया का संदाय 10-1-1967 से 6% ब्याज सहित करे। चूंकि राज्य के अधिकारियों ने पिटीशनर को तंग किया है जिसकी बाबत न्यायालय ने यह महसूस किया कि वह साशय, जानबूझकर और दुष्प्रेरित है, इसलिए न्यायालय ने उदाहरणात्मक खर्चा दिलवाया जो कि 25,000/-रुपए की रकम थी और जिसका संदाय 31 जुलाई, 1983 के पूर्व पिटीशनर को कर देना था। (पैरा 10)

अनुसरित निर्णय

		पैरा
[1971]	[1971] 3 उम० नि० प० 305=[1971] (सप्लीमेंट) एस० सी० आर० 634 : **देवकी नन्दन प्रसाद बनाम बिहार राज्य और अन्य** (Devaki Nandan Prasad *v.* State of Bihar and Others).	2

आरम्भिक अधिकारिता : 1980 का रिट पिटीशन सं० 3053.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन किया गया रिट पिटीशन।

अपीलार्थी की ओर से	**डॉ० एल० एम० सिंघवी, सर्वश्री एस० के० सिन्हा, एस० के० वर्मा, ए० एम० सिंघवी और लक्ष्मी कान्त पाण्डे**
प्रत्यर्थी की ओर से	**श्री डी० गोवर्धन**

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति डी० ए० देसाई ने दिया।

न्यायाधिपति देसाई—

आदेश

16 वर्षों से एक पेंशनर कठिनाई से उपार्जित अपनी पेंशन की खोज में न्यायालय और कार्यपालिका के द्वार खटखटा रहा है और वे लोग जिनका हश्र भी समय के व्यतीत होने के साथ-साथ वही होगा, उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, किन्तु फिर भी वह अपने थोड़े से साधनों के साथ 12 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद जिस दुखःदायी लम्बी अवधि के दौरान इस न्यायालय के परमादेश को कागज के एक टुकड़े के रूप में माना गया है, दूसरी बार उच्चतम न्यायालय में विवश होकर आया हुआ है। कितने दुःख की बात है और कितनी असहायता की स्थिति है।

2. संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन किए गए इस पिटीशन के निपटारे के लिए जो सुसंगत तथ्य हैं, वे विस्तार से **देवकी नन्दन प्रसाद** बनाम **बिहार राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में उपवर्णित हैं और इसी कारण से उन्हें फिर से दोहराने की यहां पर आवश्यकता नहीं है। संविधान न्यायपीठ ने, जिसकी अध्यक्षता तत्समय के मुख्य न्यायाधिपति श्री सीकरी ने की थी, प्रस्तुत पिटीशन द्वारा फाइल किए गए रिट पिटीशन में परमादेश का रिट जारी किया था, जो कि निम्नलिखित रूप में है—

> "तारीख 5 अगस्त, 1966 वाला यह आदेश जिसमें सर्विस कोड के नियम 76 के अधीन यह घोषणा की गई थी कि पिटीशनर सरकारी नियोजन में नहीं रह गया है, अपास्त और अभिखंडित किया जाता है। तारीख 12 जून, 1968 वाला वह आदेश, जिसमें यह कथन किया गया है कि पेंशन रूल्स के नियम 46 के अधीन विभाग पिटीशनर को पेंशन मंजूर करने में असमर्थ है, भी अपास्त और अभिखंडित किया जाता है। क्योंकि पिटीशनर ने स्वयं यह दावा किया है कि वह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवा से निवृत्त कर दिया गया है, इसलिए मैंडेमस का रिट प्रत्यर्थियों पर इस निदेश के साथ जारी किया जाएगा कि वे विधि के अनुसार पेंशन संदाय करने के लिए पिटीशनर के दावे पर विचार करें।"

न्यायालय की राय 4 मई, 1971 को व्यक्त की गई थी और तब से पिटीशनर बिहार राज्य के विभिन्न विभागों में इधर से उधर मारा-मारा

---

[1] [1971] 3 उम० नि० प० 305=[1971] (सप्लीमेंट) एस० सी० आर० 634.

1983(4) eILR(PAT) SC 1

फिर रहा है और अन्त में इस न्यायालय के दरवाजे खटखटाने के लिए विवश हुआ है।

3. इसी सम्बन्ध में इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि पिटीशनर 1 सितम्बर, 1928 को सेवा में आया था और स्वीकृतत: वह 10 जनवरी, 1967 को अधिवर्षिता पर सेवा-निवृत्त हुआ है। वह बिहार पेंशन रूल्स, 1950 के अधीन पेंशन प्राप्त करने का हकदार है। विवाद यह है कि क्या पिटीशनर बिहार एजूकेशन सर्विस (बिहार शिक्षा सेवा) का सदस्य है और उसकी पेंशन की संगणना का ढंग क्या होना चाहिए? प्रथम मुद्दे के सम्बन्ध में यह मामला अब अनिर्णीत विषय नहीं रह गया है, क्योंकि संविधान न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया था कि पेंशन नियम के नियम 5 के प्रति जो निर्देश दिया गया है, उससे यह दर्शित होता है कि उसमें उन्नति अधिकारी पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं। इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इस सम्बन्ध में कोई भी विवाद नहीं है कि पिटीशनर बिहार शिक्षा सेवा के शिक्षा विभाग में अधिकारी है और इस विभाग का नाम नियम 5 की अनुसूची की मद सं० 3 के सामने दिखाया गया है। अत: पक्षकारों के बीच इस विनिश्चय द्वारा यह संविवाद समाप्त हो गया है कि पिटीशनर बिहार शिक्षा सेवा का सदस्य है और यह कि पेंशन नियम के नियम 5 के अधीन वह पेंशन प्राप्त करने का हकदार है।

4. इस न्यायालय द्वारा परमादेश के रिट जारी किए जाने के बाद पिटीशनर अन्य व्यक्तियों के बीच बिहार के तत्समय मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री केदार पांडे के पास इस दृष्टि से गया था जिससे कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी परमादेश को कार्यान्वित और प्रभावी किया जा सके। मुख्यमंत्री ने यह निदेश दिया कि यद्यपि उस परमादेश के जारी किए जाने के बाद दो वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है और मुख्यमंत्री ने स्वयं ही 25 जून, 1973 से दस महीने पहले यह निदेश दिया था कि पिटीशनर के दावे का संदाय यथा-सम्भवशीघ्र कर दिया जाए और सम्बन्धित फाइल के विषय में कार्यवाही करने सम्बन्धी रिपोर्ट की साप्ताहिक प्रगति पर और इस बात पर जोर दिया था कि उसके समक्ष वह फाइल प्रस्तुत की जाए, फिर भी मुख्यमंत्री ने अपनी असहायता व्यक्त करते हुए यह लिखा कि मुझे न तो साप्ताहिक रिपोर्ट ही प्राप्त हो रही है और न ही परमादेश कार्यान्वित किया गया है और न ही मेरे समक्ष वह फाइल मेरे अवलोकनार्थ प्रस्तुत ही की गई है। यदि लोकप्रिय निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री की दशा यह है, तो फिर एक कमजोर व्यक्ति के बारे में क्या बात की जाए और पिटीशनर जैसी स्थिति

के व्यक्ति के लिए कितने आंसू बहाए जा सकते हैं, जिसने लगभग 40 वर्ष की सेवा की है और जो थोड़ी-सी पेंशन-रूपी मृग-तृष्णा के पीछे भाग रहा है। मुख्यमंत्री को इस बात की आशंका थी कि यह बिल्कुल ही संभाव्य है कि उच्चतम न्यायालय न केवल इस गड़बड़ के लिए उत्तरदायी अधिकारियों से, बल्कि राज्य सरकार से भी इस बात का स्पष्टीकरण मांग सकता है कि परमादेश की उपेक्षा,क्यों की गई। उसके बाद उसने यह अलंघनीय आदेश दिया कि फाइल उनके समक्ष प्रस्तुत की जाए।

5. जैसा कि दुखपूर्ण अनुभव होता है, कुछ भी आगे नहीं हुआ। कोई भी बात तब तक नहीं होती है जब तक कि अवस्थितित्व की विधि की भांति कोई बाह्य शक्ति उस पर कार्य नहीं करती और फाइल को आगे नहीं बढ़ाती। हमें इस बात के सम्बन्ध में समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि वह बाहरी शक्ति कौन सी है। अन्त में वह फाइल मुख्यमंत्री के पास 1974 में उस समय पहुंची जबकि उन्होंने उसे अपने पास मंगवाया। मुकदमे का इतिहास पिटीशनर के साथ किए गए अन्याय, सम्बन्धित अधिकारियों की पूरी तरह से लापरवाही और असहानुभूति की कहानी बहुत लम्बी है और उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के अनुरूप पिटीशनर के दावे का निपटारा करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की।

6. प्रस्तुत पिटीशन का निपटारा करने में जिस तात्विक प्रभाग से हमें सहायता ही मिलेगी, उसमें यह परिवर्णित किया गया है कि पिटीशनर को उस समय से ही जबकि उसकी प्रोन्नति हुई थी, बिहार शिक्षा सेवा के वर्ग-II पदों में माना जाएगा और 1-1-1952 से उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि वह अपनी ज्येष्ठता के अनुसार या सीधी नियुक्ति की तारीख से, जिसने कि पिटीशनर को समान अवसर से वंचित कर दिया था, वर्ग-I पद का है और उसे चयन श्रेणी प्राप्त है, जिसका कि वह पूरी तरह से हकदार था। किन्तु वह टिप्पण मुख्यमंत्री के शिष्टाचार से परिपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा मंत्री से यह निवेदन किया था कि न्याय के उद्देश्यों के लिए, जो कि ऐसी शब्दावली है जिसका उपयोग, प्राय:, न्यायालय करने के आदी हैं, पिटीशनर को एक मास के भीतर उसके दावे का संदाय कर दिया जाना चाहिए जिसके लिए शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी उत्तरदायी होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के निदेश के कार्यान्वयन में असम्यक् विलम्ब हुआ है और मैं यह कभी पसन्द नहीं करूंगा कि श्री प्रसाद पुन: न्यायालय में जाने के लिए विवश हों। क्या काल्पनिक विचार है?—क्योंकि श्री प्रसाद इस न्यायालय में पुन:

आने के लिए विवश हुए हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री इस संसार को छोड़कर चले गए हैं।

7. यदि इस बात को संक्षेप में कहें, तो पिटीशनर को 6 फरवरी, 1976 वाला—मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निदेश के तीन वर्ष बाद—इस प्रभाव का पत्र मिला कि पेंशन सम्बन्धी उसके मामले को अन्तिम रूप दे दिया गया है और 156 रु० 55 पैसे प्रति मास का पेंशन संदाय आदेश और 5,850/-रुपए का उपदान संदाय आदेश जारी किया जाने वाला है। सरसरी तौर से देखने पर यह प्रतीत होगा कि उन अधिकारियों के मन में जो कि पेंशन के इस मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे थे, उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय के प्रति तनिक भी सम्मान नहीं है, क्योंकि समझी गई तारीखों से वर्ग-II में प्रोन्नति और उसके बाद वर्ग-I में प्रोन्नति इन दोनों की ही उपेक्षा कर दी गई थी और पेंशन की संगणना इस आधार पर की गई थी, मानो कि पिटीशनर वर्ग-III में ही सेवा-निवृत्त हुआ हो। उसके बाद पिटीशनर के सभी अभ्यावेदनों के परिणामस्वरूप न तो सहानुभूतिपूर्ण उत्तर ही प्राप्त हुआ और न ही न्यायोचित विनिश्चय ही किया गया और इसी कारण से पिटीशनर पुनः इस न्यायालय में आया है।

8. प्रत्यर्थी-राज्य और उसके सभी अधिकारी पिटीशनर की पेंशन की संगणना न केवल इस आधार पर करने के लिए आबद्ध हैं कि वह बिहार शिक्षा सेवा का सदस्य है, बल्कि इस आधार पर भी कि उसे पूर्वतर निर्णय में उलिखित तारीख तक वर्ग-II में और 1-1-1952 से वर्ग-I में प्रोन्नत किया गया था जैसा कि स्वयं मुख्यमंत्री ने ठीक तौर से ही अभिनिर्धारित किया था। श्री गोवर्धन ने हमारे समक्ष ऐसी कोई बात नहीं बताई जिससे कि इसके प्रतिकूल अभिनिर्धारित किया जा सके और न ही राज्य को इस न्यायालय की संविधान न्यायपीठ के पवित्र विनिश्चय के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत ही दी जा सकती है।

9. इस न्यायालय के परमादेश को प्रभावी बनाने की दृष्टि से, प्रत्यर्थी-राज्य पिटीशनर को संदेय वेतन की संगणना उस तारीख से करेगा जिसको उसकी प्रोन्नति वर्ग-II सेवा में की गई थी और इस उपधारणा के आधार पर करेगा कि वह तत्समय उसे ग्राह्य वेतनमान में, जो कि बिहार शिक्षा सेवा में वर्ग-II श्रेणी के समतुल्य था, वर्ग-II में कार्य कर रहा था। यह उस तारीख

से प्रारम्भ होगा जिससे कि उसे सरायकेला स्थित विद्यालय उप-निरीक्षक के रूप में, जैसा कि पूर्वतर निर्णय में उपवर्णित है, प्रोन्नत किया गया था। संगणना के प्रयोजनार्थ वेतन की संगणना करने में उस पद के लिए तत्समय प्रचलित वर्ग-II का वेतनमान दिया जाएगा और पिटीशनर के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे उसी वेतनमान में नियुक्त कर दिया गया है। 1-1-1952 तक वार्षिक वेतनवृद्धियां जोड़ी जानी हैं, जबकि उसके बारे में यह समझा जाना चाहिए कि उसे बिहार शिक्षा सेवा में वर्ग-I पद पर, जैसा कि मुख्यमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है, प्रोन्नत कर दिया गया था। प्रत्यर्थी-राज्य इसी प्रक्रिया को पुनः दोहराएगा क्योंकि तत्समय प्रचलित वर्ग-I वेतनमान के बारे में यह अवश्य ही अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि वह 1-1-1952 से पिटीशनर के लिए ग्राह्य था। उसके बारे में यह अवश्य ही समझा जाना चाहिए कि उसकी नियुक्ति उसी वेतनमान में कर दी गई थी, और उसकी वार्षिक वेतन वृद्धियों का हिसाब लगाया जाए। यदि इसी प्रक्रिया में वह चयन श्रेणी प्राप्त करने का हकदार हो जाता है, तो उसका भी हिसाब लगाया जाना चाहिए और यह संगणना 10-1-1967 तक की जानी चाहिए, जबकि पिटीशनर अधिवर्षिता प्राप्त करने पर सेवा से निवृत्त हुआ था। वेतन की इस संगणना के आधार पर उसकी पेंशन की संगणना बिहार पेंशन नियम के सुसंगत नियमों के अधीन की जाएगी जैसा कि 1967 तक समय-समय पर उन्हें उदार बनाया गया है और उसकी पेंशन का अवधारण पूर्वोक्त संगणना-पत्र के आधार पर 10-1-1967 को की जाएगी।

10. राज्य और इस कार्य के लिए उत्तरदायी अधीनस्थ अधिकारियों को परमादेश के रिट द्वारा यह निदेश दिया जाता है कि वे 31 जुलाई, 1983 तक यह संगणना पूरी कर लें और उस तारीख तक पेंशन संदाय आदेश, जो कि यहां पर दिए गए निदेश के अनुसार ठीक और सुसंगत होना चाहिए, पिटीशनर को निश्चित रूप से दे दिया जाना चाहिए। राज्य को इस न्यायालय के परमादेश द्वारा यह भी निदेश दिया जाता है कि वह उसी कालावधि के भीतर पूर्वोक्त संगणना के आधार पर पेंशन की बकाया का संदाय 10-1-1967 से 6% ब्याज सहित करे। चूंकि राज्य के अधिकारियों ने पिटीशनर को तंग किया है जिसकी बाबत हम यह महसूस करते हैं कि वह साशय, जानबूझकर और दुष्प्रेरित है, इसलिए हमें इस बात के लिए अत्यधिक खेद है कि हम उदाहरणात्मक खर्चा दिलवा रहे हैं जो कि 25,000/-रुपए

1983(4) eILR(PAT) SC 1

होगा और जिसका संदाय 31 जुलाई, 1983 के पूर्व पिटीशनर को कर देना होगा।

11. हम इस सम्बन्ध में तनिक भी संदेह नहीं छोड़ना चाहते कि इस परमादेश का पालन करने में जो समय निश्चित किया गया है, उसमें यदि तनिक भी असफलता होगी या उससे विचलन होगा, तो उसके परिणामस्वरूप निश्चित रूप से (न्यायालय के) अवमान की कार्रवाई की जाएगी।

पिटीशन मंजूर किया गया।

श्री०